न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 152/2016

1 कविता उम्र 22 वर्ष पुत्री रिछपाल जाति जाट निवासी दंतुजला तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनी पत्नी रामेश्वर।
2 तुलछी देवी पुत्री रामेश्वर।
3 सुख देवी पत्नी रिछपाल।
4 अंकिता पुत्री रिछपाल समस्त जाति जाट निवासीगण दंतुजला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 पटवारी पटवार हल्का भूमा बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स शाखा प्रबन्धक जरिये मैनेजर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बइजलास श्री संतोष कुमार मीणा आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 53/2013 दावा उनवानी मोहनी आदि बनाम सुख देवी आदि दिनांकित 23.09.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशन सिंह पिलानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

–निर्णय–

दिनांक:– 22.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 53/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट मोहनी व तुलछी ने विचारण न्यायालय में ग्राम दंतुजला तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 267 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर वादी संख्या 1 व 2 को 1/3,1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निस्तारण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में बिना किसी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित किये बिना ही पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के निस्तारण में कानूनन साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होने वाल दस्तावेजों को आधार बनाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में पारित कर दिया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का निस्तारण कानूनी दस्तावेजों के विपरित जाकर पारित कर दिया गया है। क्योंकि अपीलांट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पूर्वज रिछपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित इन्द्राज पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2007 के आधार पर ही दर्ज हुये है। इसलिये जब तक निर्णय व डिक्री दिनांकित 29.11.2007 प्रभाव में रहते है व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित इन्द्राजात को चेलेंज नही किया जा सकता है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्य एवं विधिक स्थिति की ओर गौर किये बिना ही तनकी संख्या 2 पर विधि विरूद्व निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य एक सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादीगण रामेश्वर के वारिस नही है। सुल्तान के वारिस है। अपील न्यायालय में रेस्पोडेंट की और से आदेश 41 नियम 27 के तहत मूल दस्तावेजात पेश किये गये है। विचारण न्यायालय में इन दस्तावेजात की छाया प्रतियां पेश की गई थी। विधि अनुसार छाया प्रति होने से विचारण न्यायालय में न तो इन दस्तावेजात को प्रदर्शित किया गया न ही अपीलांट को इन दस्तावेजात पर जिरह का अवसर प्राप्त हुआ है। अत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण प्रति प्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वंशावली के अनुसार विवादित भूमि पैतृक है वादीगण रामेश्वर के वारिस है। विचारण न्यायालय में वादीगण ने दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की थी। जिन पर अपीलांट ने जिरह भी की थी। अपीलांट ने इन दस्तावेजात के असत्य होने का कोई कथन नही किया है। पूर्व निर्णय दिनांक 29.11.2007 में वादीगण पक्षकार नही थे। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत रूप से पारित किया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में रेस्पोडेंट की और से आदेश 41 नियम 27 के तहत मूल दस्तावेजात पेश किये गये है। विचारण न्यायालय में इन दस्तावेजात की छाया प्रतियां पेश की गई थी। विधि अनुसार छाया प्रति होने से विचारण न्यायालय में न तो इन दस्तावेजात को प्रदर्शित किया गया न ही अपीलांट को इन दस्तावेजात पर जिरह का अवसर प्राप्त हुआ है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि पक्षकार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाये बिना न तो न्यायालय द्वारा इन्हे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है न ही प्रति पक्ष को ऐसी स्थिति में जिरह का अवसर प्राप्त होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा अपील न्यायालय में मूल दस्तावेजात आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत किये गये है। जिन पर जिरह का अवसर अपीलांट को विचारण न्यायालय में दस्तावेजात प्रदर्शित होने के उपरान्त प्राप्त हो सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजात साक्ष्य में प्राप्त करे, प्रदर्शित करे एवं अपीलांट को जिरह का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। यहां यह भी आदेशित किया जाता है कि अपील न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत मूल दस्तावेजात रेस्पोडेंट को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जावें तथा इनकी छाया प्रति अपील न्यायालय की पत्रावली में रखी जावें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर